[2019] 11 एस. सी. आर 765

जयेश एच. पांड्या और ए. एन. आर.

वी.

सबटेक्स इंडिया लिमिटेड। & ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 6300)

अगस्त 27,2019

[एन. वी. रमना, मोहन एम. शांतनागौदर और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996: एसएस। 14 और 15-कार्य करने में विफलता या असंभवता-मध्यस्थता समझौता-के संदर्भ में

शर्तों, मध्यस्थ को समझौते की प्रति की सेवा की तारीख से चार महीने के भीतर निर्णय देने के लिए, हालांकि इस अवधि को पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है-मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने में असमर्थ मध्यस्थ और अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को समय बढ़ाने के लिए या स्पष्टीकरण के लिए अदालत से संपर्क करने का निर्देश जारी करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया-हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया। 1 - इसके बाद, मध्यस्थ ने एक बैठक तय की, हालांकि, अपीलकर्ताओं ने एक आवेदन दायर किया कि न्यायाधिकरण कार्यात्मक अधिकारी बन गया था जिसके पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं थी

चार महीने की अवधि समाप्त हो गई थी-मध्यस्थ द्वारा आवेदन की अस्वीकृति-अपीलार्थी ने तब एस का आह्वान करते हुए मध्यस्थता याचिका दायर की। 14 घोषणा में मांग की गई थी कि मध्यस्थ अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया था और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का जनादेश समाप्त हो गया था-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः

एस की उप-धारा 1 (ए) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है। 14 एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा यदि वह अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है

- मध्यस्थता कार्यवाही पक्षकारों द्वारा सहमत शर्तों द्वारा शासित और संचालित की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह अधिनियम के उद्देश्य के जनादेश को विफल कर देगा-इस प्रकार, मध्यस्थ, मध्यस्थता समझौते के खंड से परे नहीं जा सकता है-दलों को मध्यस्थ सहित अनुबंध की शर्तों के साथ खड़ा होना पड़ता है-तथ्यों पर, यह नहीं माना जा सकता है कि मूल्यवान अधिकारों की छूट दी गई है जहां परिस्थितियों से पता चलता है कि जो किया गया था वह अनैच्छिक था।

इसके अलावा, मध्यस्थता समझौते के तहत पार्टियों के बीच समझौता होने पर देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह देखने के लिए कि मध्यस्थता कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर समाप्त की जानी चाहिए। 14 एस के साथ पढ़ें। 15 इस तंत्र को भी मान्यता दें-पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, मध्यस्थ वास्तव में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया और पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का जनादेश समाप्त हो गया-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 14 की उप-धारा 1 (ए) के खाली पढ़ने से स्पष्ट है।

यदि मध्यस्थ अनुचित विलम्ब किए बिना कार्य करने में विफल रहता है तो उसका आदेश समाप्त हो जाएगा। तत्काल मामले में, पहली प्रारंभिक बैठक 4 मई, 2007 को आयोजित किया गया था और मध्यस्थ को समझौते के संदर्भ में चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय को समाप्त करना और पारित करना था, जो निर्विवाद रूप से 4 सितंबर, 2007 को समाप्त हो गया था और इस बीच अपीलकर्ताओं ने 4 सितंबर, 2007 से आगे समय बढ़ाने के लिए सहमति नहीं देने की अपनी आपत्ति दर्ज की और इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि पक्ष मध्यस्थ के जनादेश को बढ़ाने के लिए सहमत नहीं थे, जिसमें विफल रहने पर मध्यस्थता कार्यवाही स्वचालित रूप से खड़ी हो गई।

समाप्त कर दिया। [पैरा 16] [777-ए-बी] 1.2 धारा 14 की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि यदि निर्दिष्ट किसी भी आधार से संबंधित कोई विवाद बना रहता है

उप-धारा (1) के खंड (ए) में, पक्षकार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो जाए, इस पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है -

अधिदेश की समाप्ति और अपीलकर्ताओं ने इस धारा के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति के लिए न्यायालय में उचित रूप से आवेदन किया और न्यायालय तदनुसार निर्णय लेने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था। [पैरा 17] [777-सी-डी]

1.3 यह सच है कि अधिनियम, 1996 की योजना का उद्देश्य विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है और यह इन पर आधारित है -

शीघ्रता का आधार लेकिन साथ ही मध्यस्थ से अनुबंध की सहमत शर्तों और प्रक्रिया को देखते हुए विवादों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अतः मध्यस्थता

कार्यवाहियों को पार्टियों द्वारा सहमत शर्तों द्वारा शासित और संचालित किया जाना चाहिए। इसलिए मध्यस्थ जयश एच. पांड्या और ए. एन. आर. के पास नहीं जा सकता है।

वी. सबटेक्स इंडिया लिमिटेड।

मध्यस्थता समझौते के खंड से परे। अधिनियम में अंतर्निहित विधायी इरादे का सम्मान करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विवाद के त्वरित और वैकल्पिक समाधान की अनदेखी नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही, कार्यवाही को मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने में पक्षों के बीच सहमत शर्तों द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह उस अधिनियम के उद्देश्य के जनादेश को विफल कर देगा, जिसके साथ संसद द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने में समझौते के सहमत नियमों और शर्तों पर कार्य करने के लिए कानून बनाया गया है। [पैरा 18] [777-ई-जी] 1.4 तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित फैसले में दर्ज की गई दलीलों से कार्यवाही

समाप्त कर दिया गया क्योंकि अपीलकर्ताओं ने समय बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दर्ज नहीं की है जो आवश्यकता थी और

समझौते की शर्तों का सार और मध्यस्थ पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने की समाप्ति के बाद अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के बाद, समय के विस्तार पर सवाल उठाने के उनके अधिकार को माफ कर दिया क्योंकि यह था

मध्यस्थ के लिए चार महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही को समाप्त करना अव्यावहारिक था और उच्च न्यायालय का विचार था कि अधिनियम को एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है ताकि

मध्यस्थता के लिए प्रभावी सहारा जिसमें विफल रहने पर यह गंभीर खतरे में होगा। [पैरा 19] [778-ई-जी]

1.5 छूट का अनिवार्य तत्व यह है कि किसी अधिकार का स्वैच्छिक और जानबूझकर त्याग होना चाहिए। स्वैच्छिक चयन छूट का सार है। त्याग और विचाराधीन अधिकार के प्रवर्तन के बीच चयन का अवसर होना चाहिए। यह नहीं माना जा सकता है कि मूल्यवान अधिकारों की छूट दी गई है जहां परिस्थितियों से पता चलता है कि जो किया गया था वह अनैच्छिक था। इसके अलावा, "छूट" या "मानित छूट" या "रोक" का सिद्धांत हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, प्रत्येक मामले में पक्षों के आचरण और पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार आधारित होता है। पक्षकारों को मध्यस्थ सहित अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा। [पैरा 20] [778-जी-एच; 779-ए-बी] [2019] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एनबीसीसी लिमिटेड बनाम। जे. जी. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड [2010] 2 एससीसी 385: [2010] 1 एस. सी. आर. 109-निर्भर।

1.6 इस प्रकार निर्दिष्ट खंड इंगित करता है कि पक्षों के पास है

स्वीकृत रूप से सहमत और इस प्रकार निर्धारित समय अवधि अंतिम और बाध्यकारी है। इसका मतलब है कि मध्यस्थता की कार्यवाही निर्धारित अवधि के भीतर शुरू और समाप्त होनी चाहिए जो तत्काल मामले में चार महीने की थी और 4 सितंबर, 2007 को समाप्त हो गई थी और किसी भी पक्ष के लिए आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि

जब तक मध्यस्थ के आदेश पर मध्यस्थ की कार्यवाही को समाप्त करने और अनुबंध की शर्तों के तहत निर्धारित समय अनुसूची के भीतर एक पुरस्कार पारित करने के लिए समय उपलब्ध था, जैसा कि द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी दलों को। इसके अलावा, मध्यस्थता समझौते के तहत विलंब को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है जब पक्षों के बीच समझौता उन्हें यह देखने के लिए बाध्य करता है कि मध्यस्थता कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर समाप्त की जानी चाहिए। इस बार प्रतिबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थताओं में अधिनियम, 1996 के दायरे और उद्देश्य के भीतर है। [पैरा 21,22] [779-बी-डी]

1.7 मध्यस्थता और/या अनुसूची के लिए निर्धारित समय

ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही में समय सीमा, जैसा कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसे स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है, मूल रूप से तत्काल तथ्यों और परिस्थितियों में जहां पक्ष स्वयं समय सीमा से खुद को बांधने के लिए सहमत हुए। धारा 14 के साथ पढ़ा जाता है

अधिनियम, 1996 की धारा 15 भी इस तंत्र को मान्यता देती है और पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, मध्यस्थ वास्तव में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया और पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का जनादेश जैसा कि अनुरोध किया गया था। बंद कर दिया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 23,24] [779-ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

[2010] 1 एससीआर 109

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6300

2009 .

उच्च न्यायालय के 14.03.2008 दिनांकित निर्णय और अंतिम आदेश से

2008 की मध्यस्थता याचिका (एल) No.59 में बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय जयेश एच. पांड्या बनाम।

सबटेक्स इंडिया लिमिटेड।

रॉबिन जयसिंघानी, विकास मेहता, अपूर्व खातोर, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

जे. सी. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , श्रीमती उर्मिला सिरूर, अनुराग तोमर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. तत्काल अपील बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 14 मार्च, 2008 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने और चार महीने की निर्धारित अवधि से अधिक समय देने के अपने अधिकार को माफ कर दिया था।

2. वर्तमान उद्देश्य के लिए संक्षेप में प्रासंगिक मौलिक तथ्य हैं:

कि अपीलार्थी हेटाली कंस्ट्रक्शन कंपनी नामक साझेदारी फर्म के भागीदार हैं। पहला प्रतिवादी एक निगमित कंपनी है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत और मध्यस्थता कार्यवाही में एक दावेदार है जो 28 अप्रैल, 2000 के मध्यस्थता समझौते के अनुसार शुरू की गई थी। प्रथम प्रत्यर्थी सबहटेक्स इंडिया लिमिटेड ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम 1996" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) की धारा 11 के तहत वर्तमान अपीलकर्ताओं के विरोध के बावजूद बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष 2003 के ए. पी. संख्या 150 में एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। 28 अप्रैल, 2000 एक सांठगांठ वाला और जाली दस्तावेज था। प्रारंभ में, 14 नवंबर, 2003 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय श्री न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर को पक्षों के अधिकारों और तर्कों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व, वैधता और प्रभाव के बारे में 14 नवंबर, 2003 के आदेश में व्यक्त किए गए विचार प्रथम दृष्टया थे और अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत विद्वान मध्यस्थ द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 14 नवंबर, 2003 को पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में चुनौती का विषय था, जिसे 20 जनवरी, 2004 के फैसले और आदेश के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित सभी विवादास्पद मुद्दों को उठाने की धारा 16 के तहत पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं।

9] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. 20 जनवरी, 2004 के उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष 2004 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3919 में चुनौती दी गई। इस न्यायालय ने 8 मार्च, 2004 को नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक विद्वान मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। दुर्भाग्य से, 14 नवंबर, 2003 के आदेश के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ की अक्टूबर, 2004 में मृत्यु हो गई। उक्त विशेष अनुमति याचिका 24 अप्रैल, 2007 को निम्नलिखित के साथ खारिज कर दी गई थीः

अवलोकन निम्नानुसार हैः

" सुना है।

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम हैं

अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं

भारत का संविधान। विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है। हमें सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर, जिन्हें मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, का निधन हो गया है।

दूर। पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हैं कि इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा को मध्यस्थ के रूप में श्री न्यायमूर्ति वी. डी. तुलजापुरकर के स्थान पर नियुक्त किया जाए। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। विद्वान मध्यस्थ अपना पारिश्रमिक आदि तय करेगा।

डिवीजन बेंच द्वारा अपने निर्णय में बताए गए अनुबंध के अस्तित्व, वैधता और प्रवर्तनीयता सहित सभी बिंदु,

विद्वान मध्यस्थ द्वारा निर्णय लिया जाएगा। दलों को निर्देश दिया जाता है कि वे आगे के निर्देशों के लिए इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 4 मई, 2007 को विद्वान मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। विद्वान मध्यस्थ का पता और संपर्क संख्या

ये निम्नानुसार हैंः

7 - बी, रॉक्ससाइड,

116 , वालकेश्वर रोड,

मुंबई-400,006।

फोन नंबर। (022) 23620614 , 23620598

इस आदेश की प्रति विद्वान मध्यस्थ को भेजी जाए।

4. 28 अप्रैल, 2000 के मध्यस्थता समझौते की उन शर्तों पर ध्यान देना उचित होगा जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं -

यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 1 .....

2 .....

3 .....

4. मध्यस्थ पक्षों को अनुमति देने की प्रक्रिया का पालन करेगा।

अपने संबंधित दावे और विवाद दायर करने और उचित समय के भीतर दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए जो मध्यस्थ कर सकता है उचित समझते हैं।

5. मध्यस्थ समझौते की प्रति की सेवा की तारीख से 4 महीने की अवधि के भीतर अपना निर्णय देगा।

6. मध्यस्थ के पास समय-समय पर पुरस्कार बनाने और प्रकाशित करने की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी, जिसमें -

दोनों पक्षों की सहमति।

7 . मध्यस्थ अपने पुरस्कार के लिए कारण बताएगा।

8. मध्यस्थ मध्यस्थता के प्रावधानों का पालन करेगा और

सुलह अधिनियम, 1996।

यहाँ के दल और दल द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले दल

पहला भाग उस पुरस्कार से बंधा होगा जो दिया जाएगा

मध्यस्थ द्वारा "।

5. 28 अप्रैल को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार,

मध्यस्थ के पास दोनों पक्षों की सहमति से पुरस्कार बनाने और प्रकाशित करने की अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। 6. निर्विवाद रूप से मध्यस्थ के समक्ष पहली प्रारंभिक बैठक 4 मई, 2007 को आयोजित की गई थी। 28 अप्रैल, 2000 के समझौते की शर्तों के खंड 5 के अनुसार, चार महीने की अवधि जो मध्यस्थ के निपटान में दोनों पक्षों की सहमति से विस्तार के अधीन अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में एक पुरस्कार पारित करने के लिए उपलब्ध थी, 4 सितंबर, 2007 को समाप्त होने वाली थी। दावेदार को अपने दावों के बयान और दस्तावेजों के संकलन को दाखिल करने की अनुमति दी गई थी और मध्यस्थता कार्यवाही (अपीलकर्ताओं) के प्रतिवादियों को 6 जुलाई, 2007 को या उससे पहले लिखित बयान और जवाबी दावे दायर करने थे और उसके बाद एक खोज और निरीक्षण 27 जुलाई, 2007 तक पूरा किया जाना था और [2019] 11 एस. सी. आर.

पक्षकारों को 10 अगस्त, 2007 तक प्रकट किए गए दस्तावेजों के संबंध में स्वीकार और/या अस्वीकार के अपने बयान देने का निर्देश दिया गया था। 13 अगस्त, 2007 को एक प्रारंभिक बैठक होनी थी। यह तथ्य कि अभिलेख पर आया कि अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें 6 जून, 2007 को दावे का बयान प्राप्त हुआ था और उनका लिखित बयान दाखिल करने के लिए दस्तावेजों के संकलन के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। दस्तावेजों का संकलन 15 जून, 2007 को प्राप्त हुआ था। तथ्य यह है कि दावों और जवाबी दावों के आदान-प्रदान और दस्तावेजों के संकलन में समय बर्बाद हो गया। मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई के लिए 27 अगस्त, 2007 की तारीख तय की गई थी। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया था कि भले ही प्रस्तुत करने के लिए 28 अप्रैल, 2000 के समझौते को एक वास्तविक समझौते के रूप में लिया जाए,

मध्यस्थता कार्यवाही को समझौते की एक प्रति की सेवा की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और समय केवल दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने समय बढ़ाने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था; और चूंकि न्यायाधिकरण ने 4 मई, 2007 को अपनी पहली बैठक की थी, इसलिए मध्यस्थता कार्यवाही चार महीने की अवधि के भीतर समाप्त नहीं की जा सकी; और पक्षकारों द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई के साथ भी मध्यस्थता कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है।

7. 27 अगस्त, 2007 को मध्यस्थ के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति पर, यह देखा गया कि यदि इस बिंदु पर 4 मई, 2007 को आग्रह किया जाता, तो एक छोटी समय सीमा तय की जा सकती थी और तिथियां आवंटित की जा सकती थीं और कार्यवाही की जा सकती थी। समय पर पूरा कर लिया गया है। दी गई परिस्थितियों में, यह अधिक उपयुक्त होगा यदि दावेदार इस न्यायालय से समय का विस्तार या स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही के लिए पक्षों की सहमति के बिना भी न्यायाधिकरण का समय बढ़ाया जा सकता है। इस न्यायालय से समय बढ़ाने या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था।

8. निर्विवाद रूप से, विस्तार के लिए कोई अंतरिम आवेदन दायर नहीं किया गया था

इस न्यायालय में समय या स्पष्टीकरण, परिणामस्वरूप, जारी रखने के लिए अधिकार क्षेत्र

4 सितंबर, 2007 को समय बीतने के साथ कार्यवाही समाप्त हो गई और विद्वान मध्यस्थ द्वारा यह देखा गया कि मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखी जाए और यदि पक्षों द्वारा इस तरह से आग्रह किया गया मुद्दा लिखित रूप में उठाया जाता है, तो इसका निर्णय उचित स्तर पर किया जा सकता है। तदनुसार, विद्वान मध्यस्थ ने दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 के संचार के अनुसरण में 26 अक्टूबर, 2007 को एक बैठक निर्धारित की। इस स्तर पर, अपीलार्थी जयेश एच. पांड्य बनाम।

चार महीने की समय-सारणी का समयबद्ध पालन; और निरंतर आपत्ति मध्यस्थता कार्यवाही के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगी और अधिनियम द्वारा प्रदान की गई पूरी मशीनरी को मध्यस्थता के लिए एक प्रभावी सहारा को एक गंभीर खतरे में लाएगी जो हमारे सामने तत्काल कार्यवाही में चुनौती का विषय है। 9. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा को 24 अप्रैल, 2007 के इस न्यायालय के आदेश के अनुसार एक विकल्प मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, पहली प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई थी

4 मई, 2007 को मध्यस्थ द्वारा और 27 अगस्त, 2007 को मध्यस्थ के समक्ष हुई सुनवाई में, अपीलकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि मध्यस्थ को समझौते की प्रति की सेवा की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर अपना निर्णय देना होगा और समय केवल दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। अपीलकर्ताओं ने समय बढ़ाने के लिए सहमति देने से इनकार करने का निर्देश दिया था, और अपनी विशिष्ट आपत्ति के बावजूद, बाद के चरण में एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें समय बढ़ाने के लिए सहमति देने से इनकार को ध्यान में रखा गया था, जिसे मध्यस्थ द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था, और समझौते की शर्तों की उत्पत्ति पर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित फैसले के तहत विचार नहीं किया गया है और चार महीने की समाप्ति के बाद, दोनों पक्षों की सहमति से समय बढ़ाए जाने के अभाव में, मध्यस्थ कार्यात्मक अधिकारी बन जाता है और बाद की सभी कार्यवाही समाप्त हो जाती है और निर्भरता रखी जाती है।

1 2010 (2) एस. सी. सी. 385 [2019] 11 एस. सी. आर.

एनबीसीसी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर। जे. जी. इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 1 और प्रस्तुत करता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

10. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए

निर्णय प्रस्तुत करता है कि एक बार अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया है जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए नहीं हो सकता है

चार महीने की अवधि के भीतर निष्कर्ष निकाला गया और यह कार्यवाही से पता चलता है कि लिखित बयान/जवाबी दावे प्रस्तुत करने में देरी होती है। अपीलकर्ताओं के लिए जिम्मेदार थे और दी गई परिस्थितियों में, मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के साथ-साथ मध्यस्थता की कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का दावा करने के अधिकार के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही को उनकी निहित सहमति से माफ कर दिया गया है और यह उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में देखा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्ति को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है, तो मध्यस्थता के लिए एक प्रभावी उपाय को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून बनाने में संसद का उद्देश्य और इरादा खतरे में पड़ जाएगा और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित है कि अपीलकर्ताओं ने अपने आचरण के साथ मध्यस्थता के समयबद्ध पालन को लागू करने के लिए अपनी आपत्ति को माफ कर दिया।

मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने के लिए और उसे इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

एक घोषणा के साथ कि मध्यस्थ अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का आदेश पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जिसे उच्च न्यायालय ने अपने 14 मार्च, 2008 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था और इस न्यायालय द्वारा 1 सितंबर, 2008 को पारित अंतरिम आदेश के कारण, मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही करने में असमर्थ था और यह अंतिम समय के लिए भंडारण में पड़ा हुआ है।

ग्यारह वर्ष।

इस न्यायालय ने दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को विद्वत मध्यस्थ के समक्ष पहली प्रारंभिक बैठक 4 मई, 2007 को आयोजित की थी और पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने बाद 4 सितंबर, 2007 को समाप्त होनी थी और 27 अगस्त, 2007 को मध्यस्थ के समक्ष हुई सुनवाई में अपीलकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि उनकी आपत्ति के अलावा कि 28 अप्रैल, 2000 का समझौता एक मिली-जुली और जाली है दस्तावेज़, भले ही उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए, 28 अप्रैल, 2000 के समझौते के तहत मध्यस्थता के खंड को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ को समझौते की एक प्रति की सेवा की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर अपना पुरस्कार देना होगा और समय केवल दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है; और विद्वान मध्यस्थ द्वारा उनकी आपत्ति पर अवसर दिए जाने के बावजूद, इस न्यायालय से समय का विस्तार या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए पक्षों को समय बढ़ाने से इनकार दर्ज करते हुए, उत्तरदाताओं/दावेदारों द्वारा समय बढ़ाने या इस न्यायालय से स्पष्टीकरण के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने 1 अक्टूबर, 2007 के आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय से विस्तार या स्पष्टीकरण की मांग करने वाले किसी भी आवेदन को दायर नहीं करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और जब मध्यस्थ ने कार्यवाही शुरू की, तो अपीलकर्ताओं द्वारा मध्यस्थ के समक्ष एक लिखित आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया था कि चार महीने की अवधि समाप्त हो गई थी और मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस मामले में मध्यस्थ के रूप में न्यायिक रूप से असमर्थ हो गया है, जिसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा 31 दिसंबर, 2007 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

14. हमारे समक्ष अभिलेखों से यह स्थापित होता है कि मध्यस्थ चार महीने के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने में असमर्थ था।

मध्यस्थता समझौते के खंड (5) के संदर्भ में 4 मई, 2007 को आयोजित पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख और समय बढ़ाने के लिए आपत्ति अपीलार्थियों द्वारा मध्यस्थ के समक्ष दर्ज की गई थी। मध्यस्थ ने ऐसा करने में विफल रहने पर 31 दिसंबर 2007 के एक आदेश द्वारा उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जिसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई।

अधिनियम 1996 की धारा 14 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक मध्यस्थता याचिका दायर करके यह घोषणा की गई कि मध्यस्थ अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है और पक्षों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का जनादेश समाप्त हो गया है जिसे उच्च न्यायालय ने 14 मार्च, 2008 के विवादित फैसले के तहत खारिज कर दिया था।

15. सुविधा के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 14 और 15 का उल्लेख करना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैः

" 14. कार्य करने में विफलता या असंभवता-(1) एक का अधिदेश

मध्यस्थ को समाप्त कर दिया जाएगा और उसे दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

((क) वह न्यायिक रूप से या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है; और (ख) वह अपने पद से हट जाता है या पक्षकार इस पर सहमत हो जाते हैं -

उनके कार्यकाल की समाप्ति।

(2) यदि किसी भी आधार को लेकर विवाद बना रहता है

उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट, एक पक्षकार,

जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, तब तक न्यायालय में आवेदन करें -

जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लें।

(3) यदि, इस धारा या धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत, कोई मध्यस्थ अपने पद से हट जाता है या कोई पक्ष मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए सहमत होता है, तो इसका अर्थ इस में निर्दिष्ट किसी भी आधार की वैधता की स्वीकृति नहीं होगी।

धारा 12 की धारा या उप-धारा (3)।

15. अधिदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन

(1) धारा 13 या धारा 14 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा, मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा।

(क) जहाँ वह किसी कारण से पद से हट जाता है; या

((ख) पक्षकारों के समझौते द्वारा या उसके अनुसार।

(2) जहाँ एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाता है, एक विकल्प

मध्यस्थ की नियुक्ति उन नियमों के अनुसार की जाएगी जो थे प्रतिस्थापित किए जा रहे मध्यस्थ की नियुक्ति पर लागू होता है।

(3) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां उप-धारा (2) के तहत एक मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाता है, पहले की गई किसी भी सुनवाई को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विवेक पर दोहराया जा सकता है।

(4) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, मध्यस्थ के प्रतिस्थापन से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण का आदेश या निर्णय

इस धारा के तहत केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना में परिवर्तन किया गया है। जयेश एच. पांड्य बनाम

16. धारा 14 की उप-धारा 1 (ए) के खाली पढ़ने से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा यदि वह इसके बिना कार्य करने में विफल रहता है।

अनुचित विलम्ब। वर्तमान मामले में, पहली प्रारंभिक बैठक 4 मई, 2007 को आयोजित की गई थी और मध्यस्थ को समझौते के संदर्भ में चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय को समाप्त और पारित करना था, जो निर्विवाद रूप से 4 सितंबर, 2007 को समाप्त हो गया था और इस बीच अपीलकर्ताओं ने 4 सितंबर, 2007 से आगे समय बढ़ाने के लिए सहमति नहीं देने की अपनी आपत्ति दर्ज की और इस प्रकार, यह माना जा सकता है कि पक्ष मध्यस्थ के जनादेश को बढ़ाने के लिए सहमत नहीं थे, जिसमें विफल रहने पर मध्यस्थता कार्यवाही स्वचालित रूप से समाप्त हो गई।

17. धारा 14 की उप-धारा (2) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि यदि खंड में निर्दिष्ट किसी भी आधार से संबंधित कोई विवाद बना रहता है

(क) उप-धारा (1) की, पक्षकार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, अधिदेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है और अपीलार्थी इस धारा के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति के लिए न्यायालय में उचित रूप से आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय तदनुसार निर्णय लेने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में था।

18. यह सच है कि अधिनियम, 1996 की योजना का उद्देश्य विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है और यह आधार पर आधारित है।

त्वरित लेकिन साथ ही मध्यस्थ को अनुबंध की सहमत शर्तों और प्रक्रिया को देखते हुए विवादों पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए, मध्यस्थता की कार्यवाही पक्षों द्वारा सहमत शर्तों द्वारा शासित और संचालित की जानी चाहिए। इसलिए मध्यस्थ मध्यस्थता समझौते के खंड से आगे नहीं जा सकता है। हम सभी को अधिनियम में अंतर्निहित विधायी इरादे का सम्मान करने की आवश्यकता है। तेज़ और इस प्रकार विवाद के वैकल्पिक समाधान की अनदेखी नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही, कार्यवाही को मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने में पक्षों के बीच सहमत शर्तों द्वारा नियंत्रित और संचालित किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह उस अधिनियम के उद्देश्य के जनादेश को विफल कर देगा, जिसके साथ इसे संसद द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने में समझौते के सहमत नियमों और शर्तों पर कार्य करने के लिए विधिबद्ध किया गया है। एन. बी. सी. सी. लिमिटेड मामले (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा पैरा 12 और 22 में कानून के स्पष्टीकरण पर निम्नानुसार विचार किया गया हैः

" 12. मध्यस्थता समझौते के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मध्यस्थ के पास पक्षों की आपसी सहमति से निर्णय लेने और प्रकाशित करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ के पास [2019] 11 एस. सी. आर. को आगे बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।

उस समय से परे जो विवाद के दोनों पक्षों की सहमति के बिना तय किया जाता है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी ने मध्यस्थ के समय के विस्तार के लिए कोई सहमति नहीं दी थी। इस प्रकार स्थिति को देखते हुए, मध्यस्थ के पास पुरस्कार देने और प्रकाशित करने के लिए समय को और बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं थी और इसलिए कार्यवाही को समाप्त करने के लिए पक्षों द्वारा निर्धारित समय की समाप्ति के बाद उसका अधिदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो गया था।

मध्यस्थता समझौता स्वयं प्रक्रिया प्रदान करता है समय का विस्तार और पक्षकारों ने इसका सहारा लिया है और मध्यस्थ द्वारा समय बढ़ाने के लिए सहमति दी है, न्यायालय दोनों में से किसी की सहमति के अभाव में पक्षकारों द्वारा निर्धारित समय बढ़ाने में अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

19. तत्काल मामले में, अभिलेख पर अभिवचनों से और उच्च न्यायालय द्वारा 14 मार्च, 2008 के अपने विवादित फैसले में, कार्यवाही समाप्त हो गई क्योंकि अपीलकर्ताओं ने समय के विस्तार के लिए अपनी सहमति दर्ज नहीं की है जो समझौते की शर्तों की आवश्यकता और सार था और मध्यस्थ 4 मई, 2007 को आयोजित पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने की समाप्ति के बाद अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के बाद, समय के विस्तार पर सवाल उठाने के उनके अधिकार को माफ कर दिया था क्योंकि मध्यस्थ के लिए चार महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही को समाप्त करना अव्यावहारिक था और उच्च न्यायालय ने कहा था

20. छूट का अनिवार्य तत्व यह है कि किसी अधिकार का स्वैच्छिक और जानबूझकर त्याग होना चाहिए। स्वैच्छिक विकल्प है

त्याग का सार। त्याग और विचाराधीन अधिकार के प्रवर्तन के बीच चयन का अवसर होना चाहिए। यह नहीं माना जा सकता है कि मूल्यवान अधिकारों की छूट दी गई है जहां

परिस्थितियों से पता चलता है कि जो किया गया वह अनैच्छिक था।

इसके अलावा, जयेश एच. पांड्या बनाम। सबटेक्स इंडिया लिमिटेड।

[आरएएसटीओजी, जे।]

"छूट" या "मानित छूट" या "रोक" का सिद्धांत हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के आचरण पर आधारित होता है। प्रत्येक मामले में और पक्षों के बीच किए गए समझौते के अनुसार और इस स्पष्टीकरण की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा एनबीसीसी लिमिटेड (उपरोक्त) में मध्यस्थता कार्यवाही के समापन के लिए समय सीमा लागू करने के पालन के संबंध में की गई है। पक्षकारों को मध्यस्थ सहित अनुबंध की शर्तों का पालन करना होगा।

21. इस प्रकार निर्दिष्ट खंड इंगित करता है कि पक्षों ने स्वीकार किया है

सहमति हुई और इस प्रकार निर्धारित समय अवधि अंतिम और बाध्यकारी है। इसका मतलब है कि मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए और इसके भीतर समाप्त होनी चाहिए

समय की निर्धारित अवधि जो तत्काल मामले में चार महीने की थी और 4 सितंबर, 2007 को समाप्त हो गई थी और जब तक समय उपलब्ध था तब तक किसी भी पक्ष के लिए आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं था।

मध्यस्थ की आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने और अनुबंध की शर्तों के तहत निर्धारित समय अनुसूची के भीतर एक पुरस्कार पारित करने के लिए जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। 22. इसके अलावा, मध्यस्थता समझौते के तहत पार्टियों के बीच समझौता होने पर देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

यह देखने के लिए कि मध्यस्थता कार्यवाही निर्धारित समय के भीतर समाप्त की जानी चाहिए। इस बार प्रतिबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थताओं में अधिनियम, 1996 के दायरे और उद्देश्य के भीतर है।

23. ऐसी मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थता और/या समय सीमा की अनुसूची के लिए निर्धारित समय, जैसा कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, कोई नहीं है

इसे स्वीकार न करने का कारण, मूल रूप से वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में जहां पक्ष स्वयं समय सीमा तक खुद को बांधने के लिए सहमत हुए। अधिनियम, 1996 की धारा 15 के साथ पठित धारा 14 भी इस तंत्र को मान्यता देती है और 4 मई, 2007 को आयोजित पहली प्रारंभिक बैठक की तारीख से चार महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, मध्यस्थ वास्तव में अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया और पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का जनादेश, जैसा कि अनुरोध किया गया था, समाप्त हो गया।

14 मार्च, 2008 के न्यायालय को इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थियों को अपनी शिकायत को कानून के तहत स्वीकार्य रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। नहीं। लागतें।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन